UPKU100003222017

न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया कुशीनगर।

पीठासीन अधिकारी–(श्रीमती मिताली आलोक चौबे)– उ०प्र० न्यायिक सेवा– UP3722

फौजदारी वाद संख्या– 819/2017

सरकार – बनाम – विनोद आदि।

मु०अप०सं०– 44/2017

धारा–323, 504, 506, 427, 452 भा०दं०सं०

थाना– सेवरही, जिला कुशीनगर।

निर्णय

अभियुक्तगण **विनोद, गया, मनोज व महेन्द्र** के विरूद्ध धारा– 323, 504, 506, 427, 452 भा०दं०सं० में आरोपपत्र थाना– सेवरही, जिला–कुशीनगर की पुलिस द्वारा विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा बृजलाल यादव पुत्र स्व० श्री बुद्धन यादव सा0 बरमपुर थाना सेवरही जिला कुशीनगर का स्थायी निवासी है। वादी मुकदमा अत्यंत गरीब व जइफ व्यक्ति है। मजदूरी वगैरा कर के जीवन यापन करता है। वादी मुकदमा के पडोस के ही विनोद पुत्र नथुनी व गया पुत्र सीताराम व मनोज पुत्र चन्द्रिका व महेन्द्र पुत्र रूदल से जमीनी रंजिश चला आ रहा है। दिनांक 08.01.2017 को करीब 8.30 बजे रात्रि मे वादी मुकदमा अपने परिवार व बच्चो के साथ भोजन कर रहा था उसी वक्त उपरोक्त व्यक्ति जो काफी सर्कस एवं दबंग किस्म के व्यक्ति हैं गोलबंद होकर लाठी डंडा व लोहे की राड लेकर वादी मुकदमा के दरवाजे पर आये तथा वादी मुकदमा की बहू को भद्दी भद्दी गाली देने लगे तथा विनोद ललकारने लगा कि आज तुझे जान से खत्म कर देंगें। उपरोक्त सभी मुल्जिमान घर मे घुस कर वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला कर दिए तथा सभी लाठी डंडा से मारने लगे। विनोद वादी मुकदमा के गले मे रस्सी बांधकर दबाने लगा। बचाव मे वादी मुकदमा की बहू आई तो उसको भी सब मारने पीटने लगे तथा वादी मुकदमा द्वारा निर्मित दीवाल को भी तोड दिए। वादी मुकदमा के छोटे पुत्र को तलाशने लगे ताकि उसे भी जान से मार दिया जाये परन्तु लडका दूसरे के घर मे भागकर जान बचाया तथा शोर मचाया। शोर सुनकर गांव के लोग आ गये तथा 100 नं0 पर फोन करते ही पुलिस आ गई जिसे देखते ही उक्त लोग धमकी देते हुए भाग गये। गाँव के लोग तत्काल वादी मुकदमा को नजदीकी डाक्टर के पास ले गये प्राथमिक उपचार के बाद वादी मुकदमा को सरकारी अस्पताल सेवरही मे उपचार कराया गया। चोट काफी गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल कुशीगर रेफर कर दिया गया।वादी मुकदमा ने उपरोक्त घटना की सूचना स्थानीय थाने पर दिया।

वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर **थाना– सेवरही** में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध मु०अप०सं०– 44/2017, धारा– 323, 504, 506, 427, 452

Digitally signed by MITALI SONKAR
Date: 2026.07.18 16:43:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भा०दं०सं० में दर्ज हुआ और विवेचक द्वारा बाद विवेचना अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 427, 452 भा०दं०सं० में प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण उपरोक्त न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धाराओं में अपनी जमानतें करायी गयी। न्यायालय द्वारा धारा–207 दं०प्र०सं० का अनुपालन कराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप दिनांक 09.07.2026 को विरचित किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वादी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर प्रदर्श क– 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट, मूल आरोप पत्र, मूल नक्शा नजरी एवं आघात आख्या पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है।

आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना केस अपने साक्ष्य के बल पर संदेह से परे साबित करना होता है। देखना यह है कि अभियोजन ने इस प्रकरण में किस हद तक अपना केस साबित किया है।

अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा/ चुटैल साक्षी **पी०डब्ल्यू०–1 बृजलाल यादव व चुटैल साक्षी पी०डब्लू०–2 प्रभावती देवी** को परीक्षित कराया गया। शेष गवाहों को उन्मोचित किये जाने हेतु अभियोजन द्वारा दिनांक 16.07.2026 को प्रार्थना पत्र दिया गया। अतः न्यायालय द्वारा शेष गवाहों को उन्मोचित किया गया।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० दिनांक 17.07.2026 को अंकित किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य नहीं देने का कथन किया एवं साक्षीगण के बयान के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहने का कथन किया है। अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया।

मैंने विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा/ चुटैल साक्षी **बृजलाल यादव** ने स्वयं को **पी०डब्ल्यू०–1 साक्षी** के रूप में परीक्षित कराया है और अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, "दिनांक 08.01.2017 को समय करीब 8 बजे अभियुक्तगण से हम लोगों की किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी। उसी कहा सुनी को सुनकर वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर अचानक किसी बात को लेकर भगदड़ हो गयी। उसी भगदड़ में गिरने से मुझे चोटें आ गयी थी। अभियुक्तगण उपरोक्त ने हम लोगों को न ही मारा पीटा था, न गाली गुप्ता दिया था, न ही जान माल की धमकी दिया था और न ही घर में घुसकर मेरे घर की दीवार तोड़कर कोई नुकसान किया था। मैनें लोगों के कहने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध एक सादे कागज पर निशानी अंगूठा लगा दिया था, जो शामिल पत्रावली है, जिसे मैं तसदीक करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दरोगा जी को मैने बयान नहीं दिया था।"

अभियोजन के अनुरोध पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी को धारा 161 जा० फौ० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो कहा कि, "मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने ऐसा बयान कैसे लिख लिया नहीं बता सकता। हम लोगों को चोटें मुल्जिमानों के मारने से नहीं आई थी बल्कि भीड़ में धक्का मुक्की में गिरने से चोटें आई थी। अभियुक्तगण उपरोक्त ने हम

लोगों को न ही मारा पीटा था, न गाली गुप्ता दिया था, न ही जान माल की धमकी दिया था और न ही घर में घुसकर मेरे घर की दीवार तोड़कर कोई नुकसान पहुंचाया था।"

पी०डब्ल्यू०–2 चुटैल साक्षी **प्रभावती देवी** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, "दिनांक 08.01.2017 को अभियुक्तगण से कहा सुनी के दौरान काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। कहा सुनी में भीड़ में धक्का लग जाने से गिरने से चोटें आ गयी थी। अभियुक्तगण उपरोक्त ने हम लोगों को न ही मारा पीटा था, न गाली गुप्ता दिया था, न ही जान माल की धमकी दिया था और न ही घर में घुसकर घर की दीवार तोड़कर कोई नुकसान किया था। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।"

अभियोजन के अनुरोध पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी को धारा 161 जा० फौ० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो कही कि, "मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने मेरा ऐसा बयान कैसे लिख लिये नहीं बता सकती। मुझे चोटें भीड़ की धक्का मुक्की में गिरने से आई थी। अभियुक्तगण उपरोक्त ने हम लोगों को न ही मारा पीटा था, न गाली गुप्ता दिया था, न ही जान माल की धमकी दिया था और न ही घर में घुसकर मेरे घर की दीवार तोड़कर कोई नुकसान किया था।"

इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त साक्षीगण **पी०डब्ल्यू०–1 बृजलाल यादव व पी०डब्लू०–2 प्रभावती देवी** द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया है, जिस कारण अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण के बयान में ऐसा कोई साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया जिससे अभियोजन कथानक साबित हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा बृजलाल यादव के घर में घुस कर वादी मुकदमा एवं अन्य को मारा पीटा, गाली गुप्ता तथा जान से मारने की धमकी देते हुए वादी मकदमा के द्वारा निर्मित दीवाल को तोड़कर रिष्टि कारित की गयी। इस प्रकार पत्रावली पर अभियुक्तगण को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और अभियुक्तगण को विरोधाभासी साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को यद्यपि स्वीकार किया गया किन्तु अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लेने से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 427, 452 भा०दं०सं० संदेह से परे साबित नहीं हो जाते।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था दिनेश सिंह बनाम उ०प्र० राज्य 2009 (67) ए०सी०सी० SC 734 में यह बताया गया है कि, "दोषसिद्ध करने के लिये अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण पर लगाए गये आरोप संदेह से परे साबित करने होते हैं।"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था राजस्थान राज्य बनाम शीशपाल ए.आई. आर. 2016 पेज 4958 एवं खेखराम बनाम हिमांचल प्रदेश राज्य 2018(1) जे.आई.सी. पेज 207 एस.सी. में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, "आपराधिक विधि शास्त्र का ये मूलभूत सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपने मामले में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध ठहराने के लिए सभी तर्क संगतपूर्ण संदेह से परे साबित करना

होगा। अपने मामले को सभी तर्कपूर्ण संदेह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और ये भार कभी भी नहीं बदलता ।"

उपरोक्त विवेचना, माननीय उच्चतम न्यायालय की विधिव्यवस्थाओं एवं पत्रावली पर उपलबध समस्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 323,504,506,427,452 भा०दं०सं० को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण **विनोद, गया, मनोज व महेन्द्र** संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं और दोष मुक्त होने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **विनोद, गया, मनोज व महेन्द्र** को मु०अप०सं०– 44/2017, अन्तर्गत धारा– 323,504,506,427,452 भा०दं०सं०, थाना– सेवरही, जिला कुशीनगर के प्रकरण में दण्डनीय अपराध के आरोपों में सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं और जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। धारा 437A दं०प्र०सं० का अनुपालन अभियुक्तगण द्वारा किया जा चुका है जो 6 माह की अवधि तक अथवा माननीय अपीलीय न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–18.07.2026

(श्रीमती मिताली आलोक चौबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कसया, कुशीनगर।
J.O. Code:–UP3722

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक–18.07.2026

(श्रीमती मिताली आलोक चौबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कसया, कुशीनगर।
J.O. Code:–UP3722